



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22344

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 2588 सन् 2026

श्रीमती रुबीना बानो

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्यविरोधी पक्ष

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : रोहित कुमार साहू, अभिषेक शुक्ला, प्रतीक मिश्रा

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 15

माननीय न्यायमूर्ति ब्रिज राज सिंह

1. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विरोधी पक्ष संख्या 2 से 6 को नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है।

2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह तत्काल आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय, अयोध्या द्वारा शिकायत संख्या 616/2013 में दिनांक 07.04.2025 को पारित आदेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कमरा संख्या 9, अयोध्या द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 219/2025 में दिनांक 08.01.2026 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक ने 2 मई 2023 को विरोधी पक्षों (2 से 6) के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट-तृतीय, अयोध्या के समक्ष धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विरोधी पक्षकार (2 से 6) उसके घर में हिस्सा लेना चाहती थीं, जिसे आवेदक के ससुर ने पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदा था और जिसके लिए उसके ससुर ने दीवानी न्यायालय में दीवानी मुकदमा दायर किया है। विरोधी पक्षकार (2 से 6) आवेदक के घर में घुस गईं और कमरे का ताला तोड़ दिया, जिसका आवेदक ने विरोध किया। इसके बाद, उन्होंने आवेदक को घूंसे, लात और डंडों से पीटा और उसकी मर्यादा भंग की।

4. आगे यह भी बताया गया है कि घटना के समय आवेदक गर्भवती थी, इसलिए वह चिकित्सकीय जांच नहीं करा सकी। आवेदक ने संबंधित थाने के थाना प्रभारी के समक्ष आवेदन दिया, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद, उसने धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, जिसे दिनांक 07.04.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध आवेदक ने पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे दिनांक 08.01.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

5. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि शिकायत संख्या 616/2023 की कार्यवाही में मजिस्ट्रेट ने थाने से विवरण मंगाया और पुलिस विवरण के अनुसार ऐसी कोई घटना घटी ही

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं थी और विवरण के साथ-साथ आवेदक और गवाहों के बयान पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट ने धारा 203 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन को अत्यंत मनमाने और अवैध तरीके से खारिज कर दिया।

6. आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक की गरिमा भंग करने का आरोप लगने के बाद, मजिस्ट्रेट ने विपक्षी पक्षकारों पर मुकदमा नहीं चलाया, हालांकि गवाहों ने भी आवेदक के मामले का समर्थन किया था।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-
। श्री राव नरेंद्र सिंह की बात सुनी गई।

8. अभिलेख देखने के बाद यह तथ्य सामने आया है कि आवेदक का आरोप है कि उसे विपक्षी संख्या 2 से 6 द्वारा पीटा गया था, लेकिन उसने अपनी चिकित्सकीय जांच नहीं करवाई। अभिलेख में यह स्वीकार किया गया है कि पक्षों के बीच दीवानी मुकदमा लंबित है। मजिस्ट्रेट ने हैदरगंज थाने से पुलिस विवरण मंगवाई, जिसमें यह दर्शाया गया है कि विरोधी पक्ष संख्या 4/शाहनाज पत्नी मोहम्मद उमर ने आवेदक और पांच अन्य सह-आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक वाद संख्या 03/2023 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई है। विवरण में यह भी बताया गया है कि आवेदक द्वारा बताई गई ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और उसने केवल दबाव बनाने के लिए आवेदन दायर किया है। यह तथ्य भी दर्ज है कि उसने अपने मामले के समर्थन में चिकित्सकीय जांच नहीं करवाई। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे लातों, घूंसे और लाठी से पीटा गया था, लेकिन किसी भी चिकित्सा विवरण के अभाव में, आवेदक के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। आवेदक द्वारा दायर आवेदन में कोई दम नहीं था और इसीलिए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद इसे सही तरीके से खारिज कर दिया गया। चुनौती दिए गए आदेशों में कोई अवैधता और त्रुटि नहीं है और उनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदन खारिज किया जाता है।

मार्च 31, 2026/मोहित सिंह/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।